दिनांक 12.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 13/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 51,810 रू0 नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त एक्टीवा स्कूटी बरामद**

दिनांक 12.09.2020 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राया मथुरा रोड यमुना नदी पुल से दो अभियुक्तों 1–मोहन उर्फ चोटी उर्फ बाबा 2–अर्जुन उर्फ सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 51,810 रू0 नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक्टीवा स्कूटी बरामद हुयी। अभियुक्त द्वारा विभिन्न खातों में लूटी गयी रकम से जमा किये गये लगभग 58,000 रू0 फ्रीज/होल्ड कराया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.09.2020 को जंक्शन रोड शाखा के पास से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 404/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों बरामद रूपये को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहन उर्फ चोटी उर्फ बाबा नि0 91 ग्रीन पार्क थाना पल्लवपुरम मथुरा।
2–अर्जुन उर्फ सुमित नि0 91 ग्रीन पार्क थाना पल्लवपुरम मथुरा।

बरामदगी

1– लूट के 51,810 रू0 नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित कारतूस।
2–घटना में प्रयुक्त एक्टीवा स्कूटी।

जनपद बिजनौर/थाना मण्डावर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **37 बने/अधबने विभिन्न बोर के अवैध शस्त्र मय खोखा कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2020 की सायं थाना मण्डावर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम मोहम्मदपुर देवमल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 02 अभियुक्तों 1–गौरव 2–राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 37 बने/अधबने विभिन्न बोर के अवैध शस्त्र मय खोखा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण/ पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना मण्डावर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौरव निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर बिजनौर।

2–राजेश निवासी ग्राम टीप थाना मण्डावर बिजनौर।

बरामदगी

1–37 बने/अधबने विभिन्न बोर के अवैध शस्त्र मय खोखा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण/ पुर्जे आदि।

जनपद बरेली/थाना शेरगढ़

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 बने/अधबने विभिन्न बोर के अवैध शस्त्र मय खोखा कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2020 को थाना शेरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रानी के तालाव के किनारे अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो अभियुक्तों 1–सतपाल 2–जमीर उर्फ गण्ठा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 बने/अधबने

विभिन्न बोर के अवैध शस्त्र मय खोखा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सतपाल टॉप टेन अपराधी है, दोनो अभियुक्तों के विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना शेरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतपाल नि0 वार्ड नं04 कस्बा व थाना शेरगढ़ बरेली।

2–जमीर नि0 कस्बा व थाना शेरगढ़ बरेली।

बरामदगी

1–05 बने/अधबने विभिन्न बोर के अवैध शस्त्र मय खोखा कारतूस
शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

- **अवैध शस्त्रों की तस्करी करते दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर के मय खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 11.09.2020 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोसीकला क्षेत्रान्तर्गत अवैध शस्त्रों की तस्करी करते दो अभियुक्तों 1–सद्दाम 2–इब्बर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर के मय खोखा कारतूस 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम नि0 नगला उटावर थाना कोसीकलां मथुरा।

2–इब्बर नि0 नगला उटावर थाना कोसीकलां मथुरा।

बरामदगी

1– 08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर के मय खोखा कारतूस 01 मोटरसाइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तंमचा, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.09.2020 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परखेडकी मोड़ बैराज रोड से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी कुलवीर उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तंमच, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलवरी उर्फ पंकज नि0 जमालपुर ढिकरा थाना बढ़ापुर बिजनौर।

बरामदगी

1–01 अवैध तंमच, 02 जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना सलोन

- **20–20 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 03 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 11.09.2020 को थाना सलोन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर कोठी के पास से पुरस्कार घोषित 03 अभियुक्तों 1–नूर मोहम्मद 2–कमाल 3–गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार तीनो अभियुक्त थाना सलोन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 498/2020 धारा 506 भादवि व सीएस एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20–20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सलोन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नूर मोहम्मद नि0 आशिकाबाद थाना सलोन रायबरेली।
2–कमाल नि0 आशिकाबाद थाना सलोन रायबरेली।
3–गौस मोहम्मद नि0 आशिकाबाद थाना सलोन रायबरेली।

कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर/थाना एक्सप्रेस वे

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा व 01 सेन्ट्रो कार आदि बरामद**

दिनांक 12.09.2020 को थाना एक्सप्रेसवे/सेक्टर 49 की संयुक्त पुलिस द्वारा एटीएम काटने की सूचना प्राप्त होने पर रायपुर के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ताहिर हुसैन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा, गैस कटर व 01 सेन्ट्रो कार आदि बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस संबंध में थाना एक्सप्रेस वे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ताहिर हुसैन नि0 पियाका थाना ताबदु जिला नूह मेवात।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा, गैस कटर व 01 सेन्ट्रो कार आदि।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 11/12.09.2020 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तिगरी रोड से बसैली फाटक मार्ग के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत

से फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी राजीव घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हेमराज उर्फ राजेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टॉप टेन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद मुरादाबाद, बदायूं, अमरोहा, उधमसिंहनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, अपहरण, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट आदि के तीन दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2020 धारा 364(क) /323/342 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–हेमराज उर्फ राजेश नि0 ग्राम पैतिया माफी थाना असमोली सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल।

<u>जनपद एटा/कोतवाली नगर</u>

- **धोखाधड़ी करने वाले 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 01 हजार रू0 नगद, विभिन्न बैंक के 66 एटीएम, 32 पासबुक, 32 चेक बुक आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2020 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस अड्डे से 06 शातिर अभियुक्तों 1–जितेन्द्र 2–राजकमल 3–समीलुद्दीन 4–अजहरूद्दीन 5–वाजिद 6–राशिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 लाख 01 हजार रू0 नगद, विभिन्न बैंक के 66 एटीएम, 32 पासबुक, 32 चेक बुक आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से लोगो से धोखाधड़ी कर रूपयों को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लाभ कमाना स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र नि0 नगला बदन थाना सुन्नगढ़ी कासगंज।

2—राजकमल नि0 बाज नगर थाना सहावर कासगंज।

3—समीलुद्दीन नि0 चौक पीर बहोडा थाना इज्जतनगर बरेली।

4—अजहरूद्दीन नि0 चौक पीर बहोडा थाना इज्जतनगर बरेली।

5—वाजिद नि0 परतापुर थाना इज्जतनगर बरेली।

6—राशिद नि0 परतापुर थाना इज्जतनगर बरेली।

बरामदगी

1—01 लाख 01 हजार रू0 नगद।

2—विभिन्न बैंक के 66 एटीएम, 32 पासबुक, 32 चेक बुक आदि।

एसटीएफःजनपद गाजियाबाद के थाना कविनगर में टियागों गाड़ी की लूट में शामिल एवं मिर्ची गैंग का सक्रिय सदस्य, रूपया 15,000/— का पुरस्कार घोषित वॉछित अपराधी फैजान एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 11—09—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद गाजियाबाद में टियागो गाड़ी की लूट में शामिल (जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 67/20 धारा 394/411/504 भादवि का अभियोग दर्ज है) एवं मिर्ची गैंग का सदस्य, **रूपया 15,000/— का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी/अभियुक्त फैजान** पुत्र महरूदीन को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

फैजान पुत्र महरूदीन निवासी जवाहर पार्क, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः—

1— 01 अदद गाडी ईको नं0 डीएल—आईआरटी—3788
(जो मु0अ0स0 67/20 की घटना कारित करने में प्रयुक्त हुई थी)
2— 01 अदद मोबाइल(सैमसंग)
3— रू0 150/— नगद

गिरफ्तारी का स्थानः—

दिल्ली, यू0पी0 बार्डर, दिलशाद गार्डन, चौकी के पास दिल्ली क्षेत्र। समयः लगभग 21.00 बजे।

पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के निर्देशानुसार वॉछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी आदेश के अनुक्रम में श्री अक्षय त्यागी, उप निरीक्षक, की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को दिनांक 11—09—2020 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/20 धारा 394/504/411 भादवि एवं मु0अ0स0 1962/19 धारा 307 भादवि के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त तथा मिर्ची गैंग के सरगना आशु उर्फ प्रवीन का साथी (जो थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है) फैजान किसी से मिलने दिल्ली, यू0पी0 बार्डर पर आयेगा। इस सूचना को विकसित करते हुए एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा थाना कविनगर गाजियाबाद की पुलिस के सहयोग से गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी करके उपरोक्त ईनामी अपराधी/अभियुक्त फैजान, को गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान पुत्र महरूदीन ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 21 साल है और वह साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद का रहने वाला हैं। अभियुक्त फैजान ने बताया कि उसका एक साथी नाजिम पुत्र अफजाल (जो मूलरूप से मोहल्ला गुलावठी, थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर का रहने वाला है परन्तु काफी समय से सीमापुरी दिल्ली में रहता था) जब वर्ष 2018 में लूट के केस में जनपद बुलन्दशहर की जेल में बन्द था तो उसकी मुलाकात जेल में बन्द उमेश पुत्र बतन सिंह निवासी रामपुर मौज्जमपुर, थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर से हो गयी थी और जेल से छूटने के बाद उमेश पुत्र बतन सिंह ने ही नाजिम एवं उसकी (फैजान) मुलाकात मिर्ची गैंग के कुख्यात सरगना आशु उर्फ प्रवीन पुत्र राजेन्द्र निवासी काजीपुरा, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद से कराई थी। उसके बाद उसने (फैजान) अपने साथी उमेश पुत्र बतन सिंह, नाजिम तथा मिर्ची गैंग के सरगना

आशु उर्फ प्रवीन पुत्र राजेन्द्र निवासी काजीपुरा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद में हापुड़ रोड पर पहले से खड़ी KIA गाड़ी से लूट का प्लान बनाया था। उल्लेखनीय है कि KIA गाड़ी को आशु उर्फ प्रवीन ने अपने साथियों के साथ गौरव चंदेल की गोली मारकर हत्या करके गाड़ी छिनी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस–3 गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 11/20 धारा 302/394/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। फिर उसके पश्चात दिनांक 14–01–2020 को रात में, बरामद की गई ईको (नं0 डीएल–आईआरटी–3788) गाडी से जनपद गाजियाबाद जाकर KIA गाड़ी से थाना कविनगर क्षेत्र में एक टियागों गाड़ी को लूट कर हापुड–गाजियाबाद रोड पर आकर इन्द्रगढ़ी में KIA गाड़ी को छोड़ दिया और यह लोग टियागो गाड़ी मे बैठकर गाडी के चालक को इधर उधर घूमाते रहे। बाद में गाड़ी के चालक से उसका पर्स, ए0टी0एम0 आदि छीनकर एक जगह उतारकर कुछ दूर आगे चलकर टियागो गाडी को भी खड़ी करके सभी लोग फरार हो गये थे। टियागो गाड़ी के सम्बन्ध मे थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पर पर मु0अ0सं0 67/2020 धारा 394/411/504 भादवि का अभियोग दर्ज है और इसी अभियोग में अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के स्तर से रूपया 15,000/– का पुरस्कार घोषित था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नाजिम, उक्त को एस0टी0एफ0 द्वारा दिनांक 24–03–2020 को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त फैजान ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उसने मिर्ची गैंग के सरगना आशु उर्फ प्रवीन पुत्र राजेन्द्र निवासी काजीपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ मिलकर दिनांक 06–10–2019 को श्री कैलाश कुमार पुत्र भोला सिंह निवासी मौ0 शिवपुरी थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद के भाई शम्भू दयाल निवासी सेक्टर–4 चिरंजीव विहार, जो खिलोने की दुकान करते हैं, से झगड़ा होने पर शम्भू सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कवि नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 1962/19 धारा 307 भादवि का अभियोग दर्ज हैं। इस घटना में भी फैजान फरार चल रहा था।

अभियुक्त फैजान पुत्र महरूदीन उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।

क0 सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद**
1	67/20	394/504 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
2	1962/19	307 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान को थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 67/20 धारा 394/504/506 भादवि में दाखिल कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————